

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./11/2008/55

भोपाल, दिनांक- 22/08/2008

//आदेश//


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्रीमती चेतना पाठक अध्यापक शास.हाईस्कूल रत्तागिरी जिला रतलाम	जिला पंचायत रतलाम जिला रतलाम जा.क्र. 6239 दि. 12.08.08	नगर पंचायत सोयतकलां जिला शाजापुर जा.क्र. 259 दि. 30.05.08 कन्या हाईस्कूल सोयतकलां

संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति मॉननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
21/8/08  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./011/2008/56.  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक- 22/08/2008

1. निम्न सचिव, मंत्र. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./032/2008/57 //आदेश//

भोपाल, दिनांक- 22/08/2008.


म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम, एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जावक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	श्री महेन्द्र सिंह नामदेव वरिष्ठ अध्यापक भूगोल (विकलांग) शा.उ.मा.वि. डीकैन जिला नीमच	नगर पंचायत डीकैन जिला नीमच जा.क्र. 390 दि. 09.05.08	जिला पंचायत मंदसौर जिला मंदसौर जा.क्र. 3432 दि. 07.08.08 शा.हाईस्कूल साबाखेड़ा (उन्तर)

संविलियन की शर्तें -

- यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
- तालिका एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
- तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
- संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक की वरिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
- अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
- शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
- तालिका क्रमांक एक में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
- वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
- तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा ।

आयुक्त द्वारा अनुमोदित


  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Thirty Nine-1-N.P.

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./032/2008/ 58  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक- 22/08/2008

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी .....एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

  
21/8/08  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/सवि./032/2008/026

दिनांक 17-8-08

//आदेश//

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक - 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार तालिका क्रमांक एक में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका क्रमांक दो तथा तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

क्र	अध्यापक संवर्ग का नाम एवं कार्यरत शाला का नाम (वरि.अध्या./अध्या./सहा.अध्यापक)	कार्यरत निकाय का नाम एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जाचक क्रमांक व दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय तथा शाला के नाम अनापत्ति प्रमाणपत्र जाचक क्रमांक व दिनांक
	1	2	3
1	कु. नीता साहू अध्यापक शा.न.मा.शा. नरगुवां जिला दमोह	जनपद पंचायत तैदूखेड़ा जिला दमोह जा.क्र. निरंक दि. 17.07.08	जिला पंचायत जबलपुर जिला जबलपुर जा.क्र. 7315 दि. 30.07.08 शा.हाईस्कूल सुहागी
2	श्रीमती सुकुम जोषी अध्यापक शा.मा.वि. मेलखेड़ा जिला मंदसौर	जनपद पंचायत मलेठ जिला मंदसौर जा.क्र. 1257 दि. 05.08.08	जनपद पंचायत खिलचीपुर जिला राजगढ़ जा.क्र. 2111-ए दि. 29.07.08 शा.मा.वि. कड़ैला शा.हा.से. स्कूल ढाबली
3	श्रीमती रजनी अहिरवार सहायक अध्यापक शा.प्रा.शा. परासई जिला दमोह	जनपद पंचायत जबेरा जिला दमोह जा.क्र. 265 दि. 15.07.08	जनपद पंचायत सागर जिला सागर जा.क्र. 1784 दि. 18.07.08 शा.प्रा.शा. भगवंतपुरा शा.प्रा.शा. जिन्दा
4	श्रीमती मेघा बेड़े सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. मीरपुरा जिला शाजापुर	जनपद पंचायत शाजापुर जिला शाजापुर जा.क्र. 254 दि. 12.07.08	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 2223 दि. 21.07.08 शा.प्रा.वि. तलावली चांदा
5	श्रीमती मीना वैद्य (शर्मा) सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. खेड़ा जिला धार	जनपद पंचायत नालझा जिला धार जा.क्र. 2529 दि. 21.07.08	जनपद पंचायत इंदौर जिला इंदौर जा.क्र. 2248 दि. 22.07.08 शा.प्रा.वि. जवाहर टेकरी
6	श्रीमती क्षमा शर्मा सहायक अध्यापक (विकलांग) शा.प्रा.वि. बछरवाल जिला देवास	जनपद पंचायत खातेगंज जिला देवास जा.क्र. 1243 दि. 07.08.08	नगर पालिका परिषद आष्टा जिला सीहोर जा.क्र. 25 दि. 10.08.08 शा.क.मा.शा. बुधवारा शा.प्रा.शा. अलीपुर
7	श्रीमती रामदेवी वर्मा सहायक अध्यापक शा.मा.वि. लहरा जिला शिवपुरी	जनपद पंचायत खनियाधाना जिला शिवपुरी जा.क्र. 1109 दि. 21.07.08	जनपद पंचायत दतिया जिला दतिया जा.क्र. 934 दि. 23.07.08 शा.प्रा.वि. उन्नाव बालाजी शा.प्रा.वि. चिरुला शा.मा.वि. ठगरई
8	श्रीमती उमा श्रीवास्तव सहायक अध्यापक शा.मा.शा. खामखेड़ा जिला दमोह	जनपद पंचायत दमोह जिला दमोह जा.क्र. 4609 दि. 23.06.08	नगर पंचायत बंडा जिला सागर जा.क्र. 1403 दि. 16.07.08 शा.न.वा.मा.शा. बंडा


Thirty Nine-I-N.P.

9	श्रीमती आरती नागोर सहायक अध्यापक शा.प्रा.वि. भैसलाकलां जिला उज्जैन	जनपद पंचायत बड़नगर जिला उज्जैन जा.क्र. 1637 दि. 16.07.08	जनपद पंचायत रतलाम जिला रतलाम जा.क्र. 2320 दि. 23.07.08 शा. गुणावद
10	श्रीमती नीलिमा मुद्रगल सहायक अध्यापक शा.क.प्रा.वि. लिम्बोदा जिला देवास	जनपद पंचायत बागली जिला देवास जा.क्र. 2127 दि. 10.07.08	नगर पंचायत राऊ जिला इंदौर जा.क्र. 869 दि. 28.07.08 शा.प्रा.वि. राऊ

### संविलियन की शर्तें -

1. यह अनुमति तालिका क्रमांक तीन में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका क्रमांक तीन में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका क्रमांक तीन में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका क्रमांक दो में अंकित निकाय द्वारा तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व अध्यापक, सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से निश्चय करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक की प्ररिष्ठता क्रमांक-3 में वर्णित संविलियन निकाय के की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।
11. तालिका क्र 2 एवं 3 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र/जावक क्रमांक/दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।

### आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा. क्र०/अध्या.संवर्ग/ए/संवि./032/2008/026

भोपाल, दिनांक- 19.8.08

### प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।



6. संबंधित आयुक्त नगर विभाग/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अपेक्षित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि समस्त अधिकारी एवं संबंधित निकाय के द्वारा कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी ..... एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा।
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ।
9. तालिका क्रमांक एक में वर्णित संबंधित अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ।

18/11/88  
 उप संचालक  
 लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/शि.क./ए+डी/अंजिनि संवि./16/2008/42

भोपाल, दिनांक 23.08.08

:: आदेश ::

अध्यापक संवर्ग में अन्तर जिला निकाय के अन्तर्गत संविलियन हेतु मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1, दिनांक 26/04/08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 08/11/05 एवं 21/12/05 के अनुक्रम में अध्यापक संवर्ग में नियुक्त/संविलियित महिला अथवा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता तथा परस्पर (Mutual) के आवेदक को अन्तर जिला एक निकाय से अन्य निकाय में संविलियन की अनुमति के प्रावधान हैं ।

2/ मध्यप्रदेश शासन के उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार अध्यापक संवर्ग के निम्नांकित सहायक अध्यापक को उनकी वर्तमान कार्यरत निकाय एवं अन्तर्जिला संविलियन होने वाली निकाय के अन्तर्गत निम्न तालिका के कालम-3 एवं कालम-4 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद, सामर्थ्य एवं वेतनमान में तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय एवं शाला के लिए पारस्परिक (अदला-बदली) अन्तर्जिला संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले जिले/निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्र. एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1	श्री उम्मेदसिंह तोमर सहायक अध्यापक शा. प्रावि खडीत अटेर जिला-भिण्ड	जनपद पंचायत अटेर जिला-भिण्ड जा.क्र.1440,दि.16.07.08 / 30.07.08	जनपद पंचायत पोरसा जिला-मुरैना जा.क्र. क्यू,दि. 17.07.08 शा. प्रावि बिचपुरी जिला-मुरैना
2	श्री जीवनलाल मानकर सहायक अध्यापक शा. प्रावि बिचपुरी जिला-मुरैना	जनपद पंचायत पोरसा जिला-मुरैना जा.क्र. 453,दि. 30.07.08	जनपद पंचायत अटेर जिला-भिण्ड जा.क्र.1440, दि.16.07.08 / 30.07.08 शा. प्रावि खडीत अटेर

3/ उपरोक्त तालिका के कालम-02 में उल्लेखित आवेदकों को उनकी कार्यरत निकाय एवं संविलियन निकाय तालिका के कालम-03 एवं 04 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर पारस्परिक (अदला-बदली) अन्तर्जिला संविलियन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहेगा :-

- 1- यह अन्तर्जिला संविलियन पारस्परिक (अदला-बदली) आवेदकों की निकाय एवं शालाओं के लिए मान्य होगी ।
- 2- अन्तर्जिला संविलियन समान पद, सामर्थ्य एवं वेतनमान के अन्तर्गत ही मान्य होगा ।



- 3- अन्तर्जिला संविलियन निकाय (तालिका के कालम-04) द्वारा संबंधित आवेदक की पारस्परिक (अदला-बदली) शालाओं के पदांकन आदेश जारी होने पर ही वर्तमान कार्यरत निकाय/संस्था से कार्य मुक्त हो सकेंगे ।
- 4- अन्तर्जिला निकाय में पारस्परिक (अदला-बदली) संविलियन की अनुमति प्रदान की गई है । उन आवेदकों द्वारा संविलियन निकाय कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से निकाय में पूर्व कार्यरत सहायक अध्यापकों के नीचे वरिष्ठता क्रम के अनुसार वरिष्ठता मान्य होगी ।
- 5- अध्यापक संवर्ग में शिक्षाकर्मियों का संविलियन अथवा संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति आदेश की पुष्टि होने पर ही अन्तर्जिला निकाय में पारस्परिक (अदला-बदली) संविलियन मान्य होगा ।
- 6- पारस्परिक (अदला-बदली) संविलियन के सहायक अध्यापक यदि उनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन/अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हो तो यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा ।
- 7- वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्यापक की गई है । अतः पारस्परिक (अदला-बदली) संविलियन की अनुमति भी उल्लेखित न्यायालयीन निर्णय के अध्यापक रहेगी ।
- 8- सहायक अध्यापक जिन्हें तालिका के कालम-03 एवं 04 में आंकित अन्तर्जिला निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकायों द्वारा अपने कार्यालयीन अभिलेख से सुनिश्चित करने के उपरान्त ही पारस्परिक (अदला-बदली) संविलियन की अनुमति मान्य रहेगी ।

"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
23/8/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 23.08.08

पृष्ठा. क्रमांक/शि.क./ए+डी/अंजिनि संवि./16/2008/43

प्रतिलिपि :-

- 1- निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 2- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
- 3- कलेक्टर, जिला-भिण्ड एवं मुरैना मध्यप्रदेश ।
- 4- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, भिण्ड एवं मुरैना मध्यप्रदेश ।
- 5- जिला शिक्षा अधिकारी, भिण्ड एवं मुरैना मध्यप्रदेश ।
- 6- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अटेर जिला-भिण्ड मध्यप्रदेश ।
- 7- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पोरसा, जिला-मुरैना मध्यप्रदेश ।
- 8- संबंधित श्री उम्मेदसिंह तोमर सहायक अध्यापक शा. प्रावि खडीत अटेर जिला-भिण्ड एवं श्री जीवनलाल मानकर सहायक अध्यापक शा. प्रावि बिचपुरी जिला-मुरैना मध्यप्रदेश ।

  
23/8/08  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश


क्रमांक/शि.क./ए+डी/अंजिनि संवि./21/2008/ 40

भोपाल, दिनांक 23.08.2008

:: आदेश ::

म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ1-49/2008/20-1 दिनांक 26.4.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक-8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग का अन्तर जिला संविलियन तालिका के कालम-3 तथा तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर उल्लेखित समान सामर्थ्य, वर्ग, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पद पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्याधीन संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

स.क्र.	अध्यापक संवर्ग में कार्यरत व्यक्ति का नाम, पद एवं संस्था	कार्यरत जिला/निकाय द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का जावक क्र. एवं दिनांक	संविलियन किये जाने वाले निकाय की अनापत्ति प्रमाण-पत्र का जावक क्रमांक एवं दिनांक तथा शाला का नाम
1	2	3	4
1.	श्रीमती सुनीता शर्मा, सहायक अध्यापक. शा. मा.वि. काछीखेड़ा वि.खं. लटेरी जिला-विदिशा.	जनपद पंचायत लटेरी जिला-विदिशा. जा.क्र.1205, दि.14.07.2008	जनपद पंचायत शाजापुर जिला-शाजापुर. जा.क्र.:011, दि.24.06.2008 शा.मा.वि. सुनेरा शा. क.प्रा.वि. पनवाड़ी शा.क.प्रा.वि. रिगनीखेड़ा शा.प्रा.वि. मिलवाड़ा
2.	श्रीमती शोभा अकोदिया, सहायक अध्यापक. शा.मा.वि. बेरछा तहसील नागदा जिला-उज्जैन	जनपद पंचायत खाचरीद, जिला-उज्जैन. जा.क्र.378, दि.06.08.2008	जनपद पंचायत रतलाम जिला-रतलाम जा.क्र.2560, दि.07.08.2008 प्रा.वि. नयापुरा मलवासा, प्रा.वि. प्रकाशनगर प्रा.वि. सरकारीगढ नौगांवकला, प्रा.वि. झर.
3.	श्रीमती सुशीला गेहलोत, अध्यापक, शा.मा.वि. कोलूखेड़ी (आलोट)जिला-रतलाम.	जनपद पंचायत आलोट जिला-रतलाम जा.क्र.1022, दि.08.08.08	नगर पालिका परिषद् नागदा जिला-उज्जैन जा.क्र.2741, दि.05.08.2008 शा.क.मा.वि. नागदा
4.	श्रीमती आरती ठाकुर, अध्यापक शा.नवीन मा.शाला भटपरेटिया हरदा जिला-हरदा	जनपद पंचायत हरदा जिला-हरदा जा.क्र.1706, दि.21.07.2008	जिला पंचायत उज्जैन जिला-उज्जैन. जा.क्र.5770, दि.02.08.2008 शासकीय हाईस्कूल चिंतामण जवासिया
5.	श्रीमती संध्या श्रीवास्तव, अध्यापक शा.मा.शाला सागौनीसाई, बेगमगंज जिला-रायसेन.	जनपद पंचायत बेगमगंज जिला-रायसेन जा.क्र. 855, दि.18.07.2008	जनपद पंचायत सागर जिला-सागर जा.क्र. 1245 दि.07.08.2008 शासकीय हाईस्कूल पामाखेड़ी एवं शासकीय हाईस्कूल पथरियाहाट






2029/...2

6	श्रीमती सीमा जायसवाल, सहायक अध्यापक शा.बा.प्रा.वि. चापड़ा जिला-देवास.	जनपद पंचायत बागली जिला-देवास जा.क्र.1356, दि.13.04.2008	जनपद पंचायत नीमच जिला-नीमच जा.क्र.652, दि.09.05.2008 प्रा.वि. रातड़िया
7	श्रीमती नीलम उपाध्याय अध्यापक शा.मा.वि. रामनेर जिला-दतिया.	जनपद पंचायत भाण्डेर जिला-दतिया जा.क्र.1699, दि.05.08.2008	जनपद पंचायत घाटीगाँव जिला-ग्वालियर जा.क्र.1719, दि.14.08.08 शा. मावि बरई
8.	श्रीमती भारती करोसिया, सहायक अध्यापक, शा. प्रा.शाला भैरोपुर जिला-होशंगाबाद	जनपद पंचायत सिवनी मालवा जिला-होशंगाबाद जा.क्र.1238, दि.14.08.2008	जनपद पंचायत बीना जिला-सागर. जा.क्र.560, दि.17.07.2008 प्राथमिक शाला गुलौना प्राथमिक शाला कन्या मंडी बामौरा

**संविलियन की शर्त -**

1. यह अनुमति तालिका के कालम-4 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी ।
2. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद की उपलब्धता होने पर ही तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जावेगा ।
3. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-4 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यमुक्त हों ।
4. तालिका के कालम-4 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-3 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए । संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक एवं सहायक अध्यापकों कार्यमुक्त न किया जाए ।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत है तथा उसके नियुक्ति आदेश की वैधता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरान्त ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-4 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक एवं सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे मान्य होगी ।
7. अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा ।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन एवं संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरान्त एवं पद रिक्त होने की स्थिति में ही संविलियन मान्य किया जावे ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा ।
10. वर्ष 2001 के भर्ती नियमों के तहत नियुक्त संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2007 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्याधीन की गई है । अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी ।






दि 22/2 -- '3

11. तालिका के कालम-3 एवं 4 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जावक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा सुनिश्चित करने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।


आयुक्त द्वारा अनुमोदित

  
23/8/08  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्र०/शि.क./ए + डी /अजिनि संवि./21/2008/ 41  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23.08.2008

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी/राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, म.प्र. भोपाल ।
4. संबंधित जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
5. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
6. संबंधित आयुक्त नगर निगम/मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत/जनपद पंचायत/..... मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि सक्षम अधिकारी से कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा ।
7. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। उक्त शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करें तथा आदेश की प्रति समस्त संबंधित अधिकारियों तथा निकायों को उपलब्ध कराएं। उपरोक्त प्रकरणों में संविलियन की शर्तों की पूर्ति/पुष्टि आपके स्तर से सुनिश्चित कराने के उपरान्त ही आदेश प्रभावशील होगा
8. संबंधित संकुल प्राचार्य की ओर सूचनार्थ ।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित संबंधित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की ओर सूचनार्थ ।

  
23/8/08  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश